न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 23/2022 तारीख रजू:– 27.05.2022

जीसीएमएस नं0 2022/234

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

शिवसिंह पुत्र भोला जाति मीना निवासी सूरौठ जिला करौली राजस्थान ––प्रार्थी

बनाम

तहसीलदारजी तहसील सूरौठ, जिला करौली (राजस्थान) ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) R.T. Act

उपस्थित :– 1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 टीटेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं0 2145 रकबा 0.24 है0 स्थित कस्बा सूरौठ प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिससे प्रार्थी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कभी कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं रहा है।

प्रार्थना पत्र मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ख0नं0 2145 को आवागमन वावत् काश्त की सहुलियत को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों के आवागमन वावत् मवेशियों के आवागमन बावत रास्ता मौके पर पूर्व से उपलब्ध है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में जो प्रार्थना पत्र का ही एक भाग है में भली प्रकार प्रदर्शित किया गया है प्रार्थी की खातेदारी के खेत ख0नं0 2145 वावत रास्ता ख0नं0 3222/2159, 2159/1, 2158 में होकर ख0नं0 2170 तक 30 फिट चौडाई में पूर्व से उपलब्ध है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग की वाउन्ड्री लाईनों से भली प्रकार दर्शाया गया है। उक्त रास्ते का उपयोग मौके पर सभी खातेदारान द्वारा किया जा रहा है इसलिए उक्त रास्ते वावत मौके पर खातेदारान

एवं प्रार्थी के मध्य कोई विवाद नहीं है एवं नाही उक्त रास्ते को लेकर खातेदारान ने कभी कोई प्रार्थी से उजर किया है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त रास्ते का अंकन नहीं होने से प्रार्थी सहित अन्य लोगों को भी विशेष असुविधा का सामना समय–समय पर करना पडता है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र मद नं03 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थी ने समस्त खातेदारान से निवेदन कर उक्त रास्ते को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने बावत् कहा तो सभी खातेदारान ने प्रार्थी से कहा कि मौके पर रास्ता चालू है हमें कोई परेशानी नहीं है इसलिए इस प्रकरण में हम लोग कोई चामजोरी नहीं करना चाहते जिस पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदारजी तह0 सूरौठ से उक्त मौके पर स्थित रास्ते को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की तो श्रीमान तहसीलदारजी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त रास्ते को दर्ज करने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने की हिदायत फरमायी है इसलिए श्रीमानजी की अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई व समाअत का अधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र मद नं05 में दर्ज किया है कि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रावधानों की पालना करने का अक्षरशः तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी के खेत ख0नं0 2145 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम सूरौठ वावत् काश्त की सहूलियत वावत् रास्ता 30 फिट चौडाई में नजरी नक्शे में लालरंग की बाउन्ड्री लाईनों से दर्शित अनुसार दिलाने के आदेश नियमानुसार प्रदान करने की कृपा करें साथ ही उक्त रास्ते का अंकन समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज फरमाने बावत् तहसीलदार तहसील सूरौठ को आदेशित फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सूरौठ ने पत्रांक ना0कोर्ट/2024/105 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद संख्या 23/2022 उनवान शिवसिंह बनाम तहसीलदार सूरीठ प्रार्थना पत्र 251 (क) एल०आर०एक्ट में खातेदार शिवसिंह पुत्र भोला जाति मीना नि० सूरौठ ने अपने स्वयं के खातेदारी ख0नं0 2145 तक के लिये भरतपुर–गंगापुर स्टेट हाईवे सडक मार्ग से काश्त की सहूलियत हेतु रास्ता चाहा गया है के संबंध में निवेदन है कि ग्राम सूरौठ की वर्तमान जमाबंदी संवत 2077 से स्थायी के खाता संख्या 1182 में खसरा संख्या 2145 रकबा 0.24 है० किस्म संस्थागत प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा संख्या कृषि भूमि नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी शिवसिंह पुत्र भोला ने उक्त खसरा संख्या 2145 को अन्य को जरिये विक्रय पत्र बेचान भी कर दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि मुकदमा सं० 23/ 2022 में सायल शिवसिंह पुत्र भोला जाति मीना के खातेदारी ख०सं० 2145 वर्तमान में संपरिवर्तन होकर संस्थागत प्रयोजनार्थ परिवर्तित हो चुकी है तथा सायल नं ख0नं0 2145 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान भी कर दिया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि अतः उक्त प्रकरण खारिज योग्य है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 एवं नकल नक्शा ट्रेस पेश किये हैं। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी सबूत में 2071–74, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति दिनांक 12.01.2024 उपपंजीयक सूरौठ(करौली) पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.24 है0 वाके कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी शिवसिंह पुत्र भोला हिस्सा पूर्ण जाति मीणा ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2145 रका 0.24 है0 किस्म संस्थागत प्रयोजनार्थ वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी शिवसिंह पुत्र भोला हिस्सा पूर्ण जाति मीणा ग्राम संस्थानिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2024 उनवानी शिवसिंह पुत्र भोला जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान –विक्रेताप्रथमपक्ष बहक इन्दिरा गांधी स्मृती शिक्षण संस्थान सूरौठ तहसील सूरौठ जरिये मंत्री श्रीमती कुसुमलता शर्मा धर्म पत्नि श्री ह्रदेश मोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली– क्रेता द्वितीयपक्ष के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.24 है0 किस्म संस्थागत प्रयोजनार्थ वाके ग्राम सूरौठ का बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेता द्वितीयपक्ष को संभलना एवं विक्रय धन राशि चूकती प्राप्त करना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.24 है0 किस्म संस्थागत प्रयोजनार्थ वाके कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी की उक्त भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 2145 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम कस्बा

सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली